



परिषद की
वाराणसी जोन

शाहपुर, हरैया, अयोध्या,
आवासी/अनावासी सम्पत्तियों का


आवकन नीलामी

नीलामी तिथि
31.01.2019

समय

11:00 बजे

IS 15700:2005



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

नीलामी स्थल:

वाराणसी जोन कार्यालय, 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
आफिस कम शापिंग काम्पेल्क्स, जवाहर नगर (भेलूपुर), वाराणसी

शाहपुर योजना सं. - 2/3 गोस्वपुर

नीलामी से निस्तारित की जाने वाली सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्तियों का प्रकार/संख्या	कुल संख्या	क्षेत्रफल वर्गमी में	आरक्षित दर प्रति वर्ग मी.	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	टोकन / पंजीकरण (लाख में)
दुकानें एल.जी.एफ.एस. 9, 10, 11, (अनारक्षित)	03	9.633	-	1408112.00 प्रतिनग	1.41 नीलामी

अवधपुरी योजना अयोध्या

नीलामी से निस्तारित की जाने वाली सम्पत्तियों का विवरण

व्यव. भू. 1341/1 (अनारक्षित)कियास्क-4	01	100.65	21280.00	21.41	2.15 नीलामी
	01	2.00 वर्गमी	-	1.90 प्रति नग	19000.00 नीलामी

तहसील हरैया, बाम्बे योजना बस्ती

नीलामी से निस्तारित की जाने वाली सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्तियों का प्रकार/संख्या	कुल संख्या	क्षेत्रफल वर्गमी में	आरक्षित दर प्रति वर्ग मी.	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	टोकन / पंजीकरण (लाख में)
आवासीय भवन 22 नग 15/25 प्रकार बी.पी.एल कार्ड धारकों हेतु	22	25.05	-	0.40 प्रति नग	0.05 लाट्ररी द्वारा

नोट:-

तहसील हरैया जनपद बस्ती के अंतर्गत निर्मित भवनों के लाभार्थियों की सूची अधिशासी अभियन्ता डूडा बस्ती द्वारा प्रेषित करने पर सूची ने अंकित व्यक्तियों के (बीपीएल कार्ड धारक) के मध्य आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। शासन द्वारा निर्धारित पंजीकरण धनराशि रु0-5000.00 का बैंक ड्राफ्ट जो उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद बस्ती के नाम देय हो, आवंटन हेतु आवेदन पत्र के साथ बीपीएल कार्ड/राशन कार्ड की छायाप्रति, नाम पता, हस्ताक्षर सहित प्रमाणित फोटो निर्धारित आवंटन से एक दिन पहले सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, बी-60, सूरजकुण्ड, गोरखपुर में जमा करना आवश्यक होगा।

सामान्य नियम एवं शर्तें

- (1) समस्त सम्पत्तियों की आवंटन/नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जाएगा।
- (2) सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी तथा नीलामी में भाग लेने विषयक सील्ड विड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु0-100.00 जमा कर संबंधित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
- (3) आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत एवं अनावासीय सम्पत्तियों में सम्पत्ति के मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के पंक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय हो, के साथ नीलामी तिथि में भाग ले सकते अथवा नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व सील्ड विड के साथ जमा करना होगा।
- (4) सम्पत्ति आवंटन/नीलामी नियम शर्तें एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाईट <http://www.upavp.in> से प्राप्त की जा सकती है।

विस्तृत जानकारी के लिये कृपया परिषद के



1800-180-5333

(टोल फ्री)

0522-2236803

पर सम्पर्क करें या परिषद की वेबसाईट
पर लॉगिन करें।

IS 15700:2005



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.

वेबसाईट: <http://www.upavp.in> ई-मेल: info@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700



SQMS